आज़ादी का अमृत महोत्सव

www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

शेयरधारकों को नोटिस – लाभांश पर कर

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रत्येक ₹2 के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹2.85 के लाभांश की अनुशंसा की है जो तभी देय होगा जब इसे दिनांक 27 जून, 2022 को होने वाली बैंक की आगामी 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है.

लाभांश के उद्देश्य से बही बंदी की तारीख 21 जून, 2022 से 27 जून, 2022 तक होगी. **हालांकि, कट–ऑफ तारीख अर्थात् दिनांक 20 जून, 2022 तक शेयर धारित करने वाले शेयरधारक लाभांश के लिए पात्र होंगे.** पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से, उन सदस्यों को जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन किया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य स्वीकार्य माध्यम से किया जाएगा.

वित्त अधिनियम 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा प्रदत्त या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा. अत: बैंक को उक्त लाभांश का भुगतान करने के दौरान समय–समय पर यथा अधिसूचित लागू अधिभार एवं उपकर सहित निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी.

ऐसे शेयरधारक जिनके पास पैन नहीं है/ अपना वैध पैन पंजीकृत नहीं किया है या जिन्होंने अपनी आय रिटर्न दाखिल नहीं की है, उन्हें अधिनियम की धारा 206एबी के प्रावधानों के अनुसार गैर–अनुपालित माना जाता है और ऐसे मामलों में 20% की दर से लाभांश राशि से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी.

सभी शेयरधारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि डिपॉजिटरी सहभागी के साथ संचालित अपने खाते में वैध स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिनियम के अनुसार आवासीय स्थिति अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए यथालागू निवासी या अनिवासी, पैन के अनुसार अपने खाते की श्रेणी, ईमेल/ डाक का पता, बैंक खाते का विवरण, जैसा भी लागू हो, पूर्ण हो/ अद्यतन किया गया हो (डीमैटरलाइज्ड रूप में शेयरों के मामले में) और भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट ("आरटीए / केफिन") के साथ पूर्ण हो/ अद्यतन किया गया हो.

बैंक ने इस संबंध में शेयरधारकों को पहले ही एक विस्तृत ईमेल सूचना भेजी है.

टीडीएस की कटौती तभी की जाएगी जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट न दी गई हो और निर्धारित स्व–प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगी जिसे बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/shareholders-meeting-agm-egm/26th-annual-general-meeting-2022/format-dividend से या आरटीए https://ris.kfintech.com/form15 से डाउनलोड किया जा सकता है.

शेयरधारकों से अनुरोध है कि दिनांक 25 जून, 2022 को सायं 5 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों को आरटीए की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/form15 **पर अपलोड करें** और उन्हें einward.ris@kfintech.com पर ईमेल भी करें ताकि बैंक उचित टीडीएस की कटौती/ विदहोल्डिंग टैक्स दर का निर्धारण कर सके. **दिनांक 25 जून, 2022 को सायं 5 बजे के बाद कर निर्धारण/ कटौती से संबंधित किसी भी सम्प्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा.**

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
पी के अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.06.2022

45/22-23